

गाम : राज्य बीमा
Grams : Rajya Beema



निगम हिन्दी पत्राचार का स्वागत करता है
REGIONAL OFFICE
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
पंचदीप भवन, सेक्टर - १६, फरीदाबाद & 41 of the E.S.I. Act in respect of
PANCHDEEP BHAWAN, SECTOR - 16, FARIDABAD.

क्रमांक :
No. 13/31449/64

दिनांक
Date: 7/2003

सेवा में/To: Sh. Vinod Kumar Pahlajajani,
S/O Sh. T C Pahlajajani, R/o
A-4/86-C, Janak Puri,
New Delhi.

M/S
Technocrat Connectivity
Systems (P) Ltd, P.No-313,
Phase-VI, Udyog Vihar,
Sector-37, Gurgaon.

विषय : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का कार्यान्वयन-कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 (यथा-संशोधित)
की धारा 2(12)/(15) के अन्तर्गत कर्मचारी तथा कारखाना/स्थापनाओं का पंजीकरण।
Sub: Implementation of the E.S.I. Act, 1948-Registration of Employees' and Factories/Establishment
under section 2(12)/(15) of the E.S.I. Act, 1948 as amended.

प्रिय महोदय/Dear Sirs,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 (3) के केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या..... दिनांक..... द्वारा..... क्षेत्र में सभी कारखानों को अधिनियम के अन्तर्गत व्यापक करने हेतु अधिनियम के अलावा लागू कर दिए गए हैं।
I have to inform that Section 1(3) of ESI Act. the Central Government has vide notification No..... dated..... made the provisions of the Act, applicable to all factories covered under the Act. within the area..... Gurgaon.

मुझे यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त सरकार ने अधिनियम की धारा 1 (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या..... दिनांक..... द्वारा..... तारीख से अन्य स्थापनाओं पर अधिनियम के उपबन्धों/धाराओं का विस्तार कर दिया है।
I have further to inform you that the appropriate Government has extended the provisions of the Act. to other establishment under Section 1(5) of the ESI Act. with effect from..... 25/4/76..... vide notification No..... 3077-5-12ab.-75/9070..... dated..... 30/3/75.....

अधिनियम की धारा 2क के अन्तर्गत ऐसे कारखाने/स्थापना को अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य है तथा अध्याय 4 के अन्तर्गत प्रदान नियोजक की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वे अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत कराएं तथा अधिनियम के अन्तर्गत व्यापक सभी कर्मचारियों के अंतर्गत की अंतर्गत करें।
Under Section 2A of the Act. such a Factory/Establishment is required to register itself under the Act. and Chapter IV thereof casts a responsibility on the Principal Employer thereof to insure its employees and to pay contributions in respect of such employees covered under the Act.

आपके द्वारा भेजे गए आपके कारखाने/स्थापना के विवरण के अनुसार दिनांक..... की बीमा तिथि..... गनीय कार्यालय प्रत्यक्षक द्वारा आपके कारखाने/स्थापना की निरीक्षण सभ्यन्धी निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार आपका कारखाना/स्थापना दिनांक..... में अधिनियम की धारा 2(12) (1) (5) की सीमा में आता है फिर भी यदि, बाद में जांच करने पर यह बात सामने आती है कि आपका कारखाना/स्थापना अज्ञात तिथि से पहले व्यापक योग्य था तो उस तिथि से अधिनियम की धाराओं का अनुपालन करना आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी।
On the basis of the particulars in respect of your Factory/Establishment submitted by you the report of the inspection conducted by the Insurance Inspector/Local Office Manager of your Factory/Establishment on..... 25/6/2003..... Your Factory/Establishment falls within the purview of Section 2(12)/(15) of the Act, w.e.f..... 25/6/2003..... (P) In case however, subsequent facts reveal that your factory/Establishment was coverable from a date prior to the date mentioned above, you shall make yourself liable to comply with the provisions of the Act. from such earlier date.

आपसे अनुरोध है कि आप अधिनियम के अन्तर्गत व्यापक की तिथि से आप अपने कारखाने/स्थापना के कर्मचारियों के योग्य पत्र भरते तथा उनके पंजीकरण और अंतर्गत न फिकर के अंतर्गत सभ्यन्धी कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा रिपोर्ट अर्पित का अनुरोध करें।
You are requested to take immediate steps for registration of your employees filling in Declaration Forms and payment of contributions, maintenance of records etc. from the date of coverage of your Factory/Establishment under the Act.